

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आम्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
136/2024

दायर दिनांक
05.04.2024

निर्णय दिनांक
16.04.2024


उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री बालू जाट आयु वयस्क निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. गीता पुत्री श्री बालू जाट आयु वयस्क निवासी- सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. गोरी पत्नी स्व० श्री बालू जाट आयु वयस्क निवासी- सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. जगदीश पुत्र श्री बालू जाट आयु वयस्क निवासी- सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. सोना पुत्री श्री बालू जाट आयु वयस्क निवासी- सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. इन्द्रा पुत्री श्री बालू जाट आयु वयस्क निवासी- सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. बद्री लाल पुत्र श्री देवी लाल नाई आयु वयस्क निवासी- सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. बक्षु पुत्र श्री गजानन्द जाट आयु वयस्क निवासी- सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. प्रेम पुत्री श्री गजानन्द जाट आयु वयस्क निवासी- सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. मांगी पत्नी श्री गजानन्द जाट आयु वयस्क निवासी- सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. ओमप्रकाश पुत्र श्री कनकमल नायक आयु वयस्क निवासी- सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. बालू पुत्र श्री भैरू जाट आयु वयस्क निवासी- जुनावास, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. देवी पुत्र श्री भैरू जाट आयु वयस्क निवासी जुनावास, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. हीरा पुत्र श्री भैरू जाट आयु वयस्क निवासी- जुनावास, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

8. जगदीश पुत्र श्री बालू जाट आयु वयस्क निवासी- हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. भंवर पुत्र श्री बालू जाट आयु वयस्क निवासी- हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. शंकर पुत्र श्री बालू जाट आयु वयस्क निवासी- हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. रामेश्वर पुत्र श्री बालू जाट आयु वयस्क निवासी- हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
12. मूली पत्नी श्री बालू जाट आयु वयस्क निवासी- हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
13. अम्बा लाल पुत्र श्री सोहन आचार्य आयु वयस्क निवासी- हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
14. राधा पुत्री श्री सुखदेव आचार्य आयु वयस्क निवासी- हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
15. रामप्रसाद पुत्र श्री बधु आचार्य आयु प्रयुद्धका निवासी- कुलेडू तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
16. सोसर पत्नी श्री बक्षु आचार्य आयु वयस्क निवासी हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
17. अविनाश पुत्र श्री सुखदेव आचार्य आयु वयस्क निवासी- हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
18. कालू पुत्र श्री बक्षु आचार्य आयु वयस्क निवासी हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
19. जगदीश पुत्र श्री सोहन आचार्य आयु वयस्क निवासी हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
20. देवी लाल पुत्र श्री बक्षु आचार्य आयु वयस्क निवासी- हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
21. प्रियंका पुत्री श्री सुखदेव आचार्य आयु वयस्क निवासी हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
22. मनीष पुत्र श्री सुखदेव आचार्य आयु वयस्क निवासी हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
23. मूली पत्नी श्री बक्षु आचार्य आयु वयस्क निवासी- हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
24. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज०)
25. अंगूरी पत्नी श्री कैलाश जाट आयु वयस्क निवासी- सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

Handwritten Signature

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

26. धापू देवी पुत्री श्री परसा जाट आयु वयस्क निवासी- सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
27. प्रहलाद पुत्र श्री परसा जाट आयु वयस्क निवासी- सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
28. बाली देवी पुत्री श्री परसा जाट आयु वयस्क निवासी-सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
29. भेरू पुत्र श्री नन्दा जाट आयु वयस्क निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
30. शंकर लाल पुत्र श्री परसा जाट आयु वयस्क निवासी- सुवाणा तहसील एव जिला भीलवाड़ा (राज०)
31. सीता देवी पत्नी श्री डालचन्द जाट आयु वयस्क निवासी- सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
32. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी मोहन लाल जाट
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 31 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू—राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हलेड प०हं० हलेड भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2069—2073 के खाता संख्या 990 की अभिलिखित आराजियात 187 कुल किता 01 कुल रकबा 2.6807 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 31 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।


Handwritten signature

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा हलेड प0ह0 हलेड भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 990 की अभिलिखित आराजियात 187 कुल किता 01 कुल रकबा 2.6807 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपर्युक्त अधिकारी
भीलवाडा